

राजस्थान सरकार, वन विभाग
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान, जयपुर
अनुसूचित (टी.एस.पी.) क्षेत्र में वनरक्षकों की सीधी भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापि

क्रमांक:-एफ15(1)2015 / कार्मिक-भर्ती/ प्रमुक्सं/ 11327

दिनांक: 26/10/15

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रसारित विज्ञापि क्रमांक:-एफ15(1)2015 / कार्मिक-भर्ती/ प्रमुक्सं/ 11406
दिनांक 16.10.15 को संशोधित करते हुए वन विभाग राजस्थान में राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत वनरक्षक की सीधी भर्ती के निम्नानुसार वन मण्डलवार कुल 327 रिक्त पदों की भर्ती के लिए योग्य अधिकारीयों से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र (ऑन लाईन) दिनांक 16.11.2015 से 02.12.2015 तक भरे जा सकते हैं। नियुक्ति अधिकारी तथा उनके कार्यालय में भरे जाने वाले पदों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

वनरक्षक के रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण :-

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	वनरक्षक के रिक्त पदों का प्रवर्गवार विवरण (टी.एस.पी क्षेत्र)			
		अनारक्षित टी.एस.पी क्षेत्र	अनु० जाति (टी.एस.पी क्षेत्र)	अनु० जप्जा० (टी.एस.पी क्षेत्र)	योग
1	उवसं, उदयपुर	52	1	38	91
2	उवसं, उदयपुर (उत्तर)	17	2	12	31
3	उवसं, झंगरपुर	16	0	12	28
4	उवसं बांसवाडा	30	3	15	48
5	उवसं प्रतापगढ़	40		20	60
6	उवसं सिरोही	3		1	4
7	उवसं वजी माउण्ट आबू (सिरोही)	9			9
8	उवसं वजी चित्तौडगढ़	8	1	12	21
9	उवसं वय जीव उदयपुर	16		19	35
	योग	191	7	129	327

नोट:-1 पदों की संख्या में कभी / वृद्धि की जा सकती है।

2. यह पद वन मण्डल अधीन भर्ती का होने के कारण आरक्षण मण्डलवार ही देय है, तदानुसार ही दर्शाया गया है।

3. यह भर्ती वन मण्डलवार पदों हेतु है, परंतु सुविधा के लिए विज्ञापि इकजाई जारी की जा रही है।

1. वेतनमान:- 5200-20200 (पी बी-1) ग्रेड पैं 2000/-

परिवीक्षा के दो वर्ष के दौरान उक्त पद पर नियुक्ति प्राप्त व्यक्तियों को पूर्ण वेतन प्राप्त होगा अथवा वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 12 (6) एफ.डी./ (रूल्स)/ 05 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार फिक्सड वेतन रूपये 7080/- प्रतिमाह, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन तत्संबंधी विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेंगा।

2. आरक्षण:-

उपरोक्त पदों में प्रवर्गवार आरक्षण नियमानुसार निर्धारित रोस्टर के अनुरूप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पदों के बैकलॉग को समिलित करते हुये दर्शाये गये हैं।

2.1 महिलाओं के लिए :-

2.1.1 विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यार्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण धॉलिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यार्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

2.1.2 राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 7 (2)डीओपी/ए-2/88/पार्ट-1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन विवाह (तलाकशुदा) महिला अभ्यार्थियों के लिए होगा।

2.1.3 किसी वर्ग-विशेष में पत्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन विवाह महिला अभ्यार्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यार्थियों से भरी जायेगी। ऐसी रिक्तियां पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

2.1.4 स्पष्टीकरण :-

2.1.4.1 विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

2.1.4.2 किसी वर्ग (अनारक्षित/अनु०जाति/अनु०जनजाति) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यार्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आयेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनारक्षित/अनु०जाति/अनु०जनजाति) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

2.2 अनुसूचित (टी.एस.पी.) क्षेत्र के अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए :-

2.2.1 राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 13 (20) कार्मिक/क-2/91/पार्ट दिनांक 16.06.13 के प्रावधानुसार उन क्षेत्रों जिन्हें ड्राईबल सब प्लान ऐरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जनजाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद तथा शेष 50 प्रतिशत अनारक्षित पद केवल स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

2.3 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए :-

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ 5 (31)कार्मिक/क-2/84/15.03.13 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से माना जाएगा और इसका समायोजन उस संबंधित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाड़ी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी के लिए अग्रणीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण :- उत्कृष्ट खिलाड़ियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने :-
(1) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(2) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फैडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गैम्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(3) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(4) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के आल इण्डिया इन्टरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

उक्त पदों की कार्य प्रकृति को देखते हुए इन पदों पर निःशक्तजनों का आरक्षण देय नहीं होगा।

2.4 भूतपूर्व सैनिकों के लिए 33.33 प्रतिशत आरक्षण (प्रवर्गवार) नियमानुसार देय होगा।

3.आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:-

अभ्यर्थी का वर्ग	वन विभाग को देय परीक्षा शुल्क रु0	RISL को देय शुल्क मय कर रु0	वनरक्षक के लिये कुल देय शुल्क रु0
	वनरक्षक	वनरक्षक	
(1) Un- reserved / All creamy layer of Rajasthan (Scheduled Area Residents)	(2) 277.20	(3) 22.80	(4) 300.00
Non-creamy layer of Backward Class /SBC of Rajasthan (Scheduled Area Residents)	177.20	22.80	200.00
SC/ST of Rajasthan (Scheduled Area Residents)	77.20	22.80	100.00

3.1 ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन शुल्क जमा कराने के लिये उनको दिया जाने वाला शुल्क रु 10/-

3.2 ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से आवेदन सम्बन्धी अन्य कार्य जैसे आवेदन भरना, प्रिंट लेना आदि के लिये पृथक से ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर उपलब्ध स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार शुल्क देना होगा।

3.3 अभ्यर्थी आवेदन करने एवं फीस जमा कराने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि वे इस भर्ती हेतु विवरणानुसार पूर्ण अर्हता रखते हैं। किसी अभ्यर्थी की पात्रता पूर्ण न होने के कारण होने वाली किसी समस्या के लिये राजस्थान वन विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।

4. शैक्षणिक योग्यता:- किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सैकण्डरी या उसके समतुल्य अर्हता उत्तीर्ण होनी चाहिए।

नोट:- ऐसे अभ्यर्थी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत है, आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता से पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता समिलित होने का मूल प्रमाण पत्र अंक तालिका प्रस्तुत करना है। लिखित परीक्षा के समय उक्त शैक्षणिक योग्यता में समिलित होने का बोर्ड/संबंधित विद्यालय द्वारा जारी प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा।

5. आयु:-

आवेदन करने की तिथि की आगामी 1 जनवरी (अर्थात् 1 जनवरी 2016) को निम्न सारणी में इंगित सीमा के अंदर होनी चाहिए। महिलाओं, भूतपूर्व, सैनिकों, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों सरकारी स्थायी कर्मियों के लिये नियमों में वर्णित आयु संबंधी छूट देय होगी, जिनकी ज्ञानकारी भी निम्न सारणी में इंगित है।

	1.1.2016 को न्यूनतम आयु(वर्ष)	1.1.2016 को अधिकतम आयु(वर्ष)	वर्ष 2013 में भर्ती नहीं होने के कारण अधिकतम आयु में देय छूट के बाद निर्धारित अधिकतम आयु (वर्ष)	तिथि जिसके पश्चात जन्म न हुआ हो	तिथि जिससे पूर्व जन्म न हुआ हो
राजस्थान के अनुसूचित (टी.एस.पी.) क्षेत्र के अनारक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थी					
पुरुष	18	24	27	1 जनवरी 1998	02.01.1989
महिला	18	29	32	1 जनवरी 1998	02.01.1984
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	59	1 जनवरी 1998	02.01.1957
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	50	1 जनवरी 1998	02.01.1966
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	40	1 जनवरी 1998	02.01.1976
राजस्थान के अनुसूचित (टी.एस.पी.) क्षेत्र के अनुसूचित ^{जाति/अनुसूचित जनजाति}					
पुरुष	18	29	32	1 जनवरी 1998	02.01.1984
महिला	18	34	37	1 जनवरी 1998	02.01.1979
विधवा/तलाकशुदा महिला	18	59	59	1 जनवरी 1998	02.01.1957
भूतपूर्व सैन्यकर्मी	18	50	50	1 जनवरी 1998	02.01.1966
राजस्थान सरकार के स्थायी कर्मचारी	18	40	40	1 जनवरी 1998	02.01.1976

6. निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं शारीरिक दक्षता प्रतिमानः— वनरक्षक पद के लिये शारीरिक मापदण्ड एवं दक्षता प्रतिमान निम्नानुसार निर्धारित हैं—

	निर्धारित	मापदण्ड/प्रतिमान	
		पुरुष अभ्यर्थी	महिला अभ्यर्थी
1	ऊंचाई	163 सेन्टीमीटर	150 सेन्टीमीटर
2	सीने का घेरा (सेमी.)		
(अ)	सामान्य	84 सेन्टीमीटर	79 सेन्टीमीटर
(ब)	फैलाव	5 सेन्टीमीटर न्यूनतम	5 सेन्टीमीटर न्यूनतम
3.	पद चाल परीक्षण	25 किलोमीटर की दूरी तय करना 4 घण्टे में	16 किलोमीटर की दूरी तय करना 4 घण्टे में
4	सिट अप्स	1 मिनट में 25 दोहराव	—
5.	शॉट पृट (4 कि.ग्रा.)	—	4.5 मीटर
6.	किंकेट बाल फेंक (थ्रो)	55 मीटर	—
7.	स्टैपिंग ब्रॉड जम्पस	—	1.35 मीटर

नोट:-

- 6.1 सिट अप्स के लिए अभ्यर्थी अपनी पीठ के बल लेटेगा, टखनों को थामने के लिए सहारे के साथ उसकी टांगे पूर्णरूप से तनी हो और अपने उपरी शरीर को उठायेगा। उठते समय अपने उपरी शरीर को कम से कम 90 डिग्री तक उठायेगा। (शरीर को जमीन के साथ लम्बवत करते हुए) उसकी टांगें उठनी नहीं चाहिए।
- 6.2 स्टैपिंग ब्रॉड जम्पस के लिए, अभ्यर्थी स्थिर दशा (विना दौड़ लगाये) से कूदेगी और कूदने के साथ ही साथ टेक लगाते समय दोनों टांगों को साथ-साथ रखेगी।
- 6.3 उपरोक्त सारणी में क्रम संख्या 4 से 7 तक प्रत्येक मद के लिए दो अवसर दिये जायेंगे। क्रम संख्या 3 के लिए एक अवसर दिया जायेगा।
- 6.4 शारीरिक दक्षता परीक्षण समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा संचालित किया जायेगा।
- 6.5 शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों को 20 अंक दिये जायेंगे।
- 6.6 भर्ती प्रक्रिया के संबंध में उठने वाले किसी विवाद पर नियमानुसार गठित चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

7. आवेदन प्रक्रिया:-

- 7.1 भर्ती हेतु आवेदन केवल Online Application Form में लिये जायेगे। यह आवेदन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र (Common Service Centre) के माध्यम से भरे जा सकेंगे। हाथ से भरे गये आवेदन पत्र/हार्ड कापी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेगे।
- 7.2 परीक्षा शुल्क व ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की निर्धारित शुल्क की राशि ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर केवल नगद राशि के रूप में स्वीकार की जायेगी। आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप परीक्षा शुल्क नगद जमा कराते समय अपना नाम, एवं पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, लिंग एवं वैवाहिक स्थिति तथा कार्यालय (जिसमें आवेदन कर रहा है) भी उपलब्ध करायेगा। परीक्षा शुल्क जमा कराने के उपरांत कम्प्यूटर द्वारा निकाली गयी पर्ची जिसमें उक्त सूचनाओं के साथ टोकन नंबर जारी किया जायेगा, अभ्यर्थी को उपलब्ध करायी जायेगी जिसको रसीद माना जावेगा। अभ्यर्थी इस टोकन नंबर को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पड़ेगी।
- 7.3 अभ्यर्थी <http://forest.rajasthan.gov.in/recruitment> पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसी वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उपलब्ध होंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय प्राप्त टोकन नंबर भरना होगा जिसके पश्चात ही ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा। इस ऑनलाइन आवेदन पत्र में शुल्क जमा कराते समय दी गयी जानकारी अंकित होगी और यह बदली नहीं जा सकेगी। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो अपलोड करने के लिये अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज (4.5X 3.5 cm) की स्केन्ड कॉपी अपने हस्ताक्षर की स्केन्ड कॉपी तथा अपने दायें अँगुष्ठे के निशान की स्केन्ड कॉपी अपलोड करेगा। यह सुविधा अतिरिक्त भुगतान पर ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र पर भी उपलब्ध होगी। पूरा आवेदन भी ई-मित्र कियोस्क अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भराया जा सकेगा जिसके लिये स्वीकृत रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।
- 7.4 अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक (application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा। यदि यह प्राप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ है कि आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदन पत्र क्रमांक (application ID) को संभाल कर रखे क्योंकि इसकी आवश्यकता प्रवेश पत्र आदि के लिये भी पड़ेगी।
- 7.5 ऑनलाइन आवेदन करने हेतु दिशा निर्देश :-
- 7.5.1 आवेदक आवेदन पत्र का प्रारूप <http://forest.rajasthan.gov.in/recruitment> से डाउनलोड कर इसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भरे तत्पश्चात ऑनलाइन आवेदन करें।
- 7.5.2 आवेदक अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र को अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही भरी गयी हैं।
- 7.5.3 आवेदक एक ही कार्यालय के लिए आवेदन करें। एक से अधिक कार्यालय के लिए आवेदन करने पर केवल एक ही कार्यालय के आवेदन को स्वीकार करते हुए शेष आवेदन निरस्त कर दिये जावेगे।
- 7.5.4 ऑनलाइन आवेदन पत्र में वांछित सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदन रद्द किया जायेगा तथा आवेदक को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार हेतु कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 7.5.5 आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के नवीनतम निर्देशों एवं नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।
- 7.5.6 सर्वप्रथम वेबसाईट www.rajforest.nic.in पर जाकर पूर्ण विज्ञप्ति पढ़ लें तथा यह सुनिश्चित कर ले कि आप के पास पद के लिये समर्त आवश्यक अहर्ता है।
- 7.5.7 इसी वेबसाईट पर उपलब्ध खाली आवेदन पत्र को पढ़ ले तथा उसमें भरी जाने वाली जानकारी पृथक से नोट कर ले। यह जानकारी आवेदन पत्र भरते समय आपके पास होने से आवेदन पत्र भरने में सुविधा होगी।
- 7.5.8 इसी वेबसाईट पर उपलब्ध Step-by-Step Instructions तथा अन्य जानकारी भी भली भाँति पढ़ लें तथा आवेदन भरने के लिये आवश्यक सामग्री साथ लेकर आवेदन पत्र भरने का अंरंभ करें।
- 7.5.9 ई-मित्र अथवा जन सुविधा केन्द्र (CSC) पर जाकर वनरक्षक भर्ती के लिये निर्धारित शुल्क जमा करावे। शुल्क जमा कराते समय जो जानकारी (नाम, पिता का नाम, आयु, वर्ग, कार्यालय जिसमें आवेदन करना है, आदि) दी जायेगी वह ई-मित्र अथवा जन सुविधा केन्द्र (CSC) के संचालक द्वारा कम्प्यूटर पर भरी जाकर एक 16 अंकों की टोकन सं0 उपलब्ध कराई जायेगी, जिसे आवेदक संभाल कर रखे। ध्यान रहे कि इस समय दी गई जानकारी सही हो क्योंकि यह आवेदन पत्र भरते समय बदली नहीं जा सकती है। आवेदक द्वारा संघर्ष के स्तर पर भी online भुगतान किया जाकर टोकन न0 प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिये इसी वेबसाईट पर E-Mitra Portal लिंक दिया गया है।
- 7.5.10 आवेदन पत्र आवेदक द्वारा स्वयं अथवा ई-मित्र अथवा जनसुविधा केन्द्र (CSC) संचालक के माध्यम से भरा जा सकता है जिसके लिये इन केंद्रों पर उपलब्ध रेट लिस्ट के अनुसार भुगतान देय होगा।
- 7.5.11 आवेदन भरने के लिये वेबसाईट <http://forest.rajasthan.gov.in/recruitment> पर जाकर Apply Online विलक करें। नये स्क्रीन पर टोकन संख्या तथा जन्मतिथि भरने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिये उपलब्ध होगा। टोकन प्राप्त करते समय दी गई जानकारी इस आवेदन पत्र में स्वत ही भरी

- जायेगी और अपरिवर्तनीय होगी। शेष जानकारी भरने तथा फोटो आदि अपलोड करने के पश्चात् आवेदन पत्र में कोई त्रुटि है अथवा आवेदन के पास वांछित अर्हता नहीं है तो स्क्रीन पर चेतावनी आयेगी। यदि आवेदन पत्र सही है तथा सफलतापूर्वक अपलोड हो गया है तो एक आवेदन आई.डी प्राप्त होगा जिसे आवेदक संभाल कर रखे। आवेदक भरे हुये आवेदन पत्र की प्रतिलिपि का प्रिंट अपने पास रखे।
- 7.6 लिखित परीक्षा प्रवेश पत्रः— यदि आवेदन पत्र सही पाया जाता है तो विभाग द्वारा लिखित परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात् ऑनलाइन ही जारी किये जायेंगे, और डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र आवेदन पत्र क्रमांक (application I.D.) एवं 16 अंकों की टोकन नंबर के आधार पर वेबसाईट से डाउनलोड कर सकेगा। यदि अभ्यर्थी ने एक से अधिक कार्यालयों के लिए आवेदन किया है तो अभ्यर्थी केवल एक ही कार्यालय के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करे सकेगा। परीक्षा के समय आवेदक प्रवेश पत्र पर एक फोटो चिपकाकर अपने वैध पहचान पत्र (Passport, Photo-PAN Card, Driving License, Aadhar Card, Photo Voter ID, Government / Defence Photo ID Card) के साथ परीक्षा में उपस्थित होगा।
8. भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया:-
- 8.1 लिखित परीक्षा:- लिखित परीक्षा संपूर्ण राज्य में एक ही तिथि व समय पर एक साथ आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा हिंदी माध्यम में वस्तुनिष्ठ (Objective) प्रकृति के प्रश्नों पर आधारित होगी जिसके पूर्णांक सौ अंक होंगे। लिखित परीक्षा के प्रश्नों में राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संरक्षित, कला, समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हो, पर वस्तुपरक (Objective) प्रकार के प्रश्न सम्मिलित होंगे।
- 8.2 मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा:- लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मापतोल एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिये आमंत्रित किया जायेगा। जो अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होंगे उन्हें अग्रिम चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा।
- 8.3 साक्षात्कारः— उपरोक्त दोनों परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। साक्षात्कार दस अंकों का होगा।
- 8.4 चयन सूची:- साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जायेगी।
- 8.5 स्वास्थ्य परीक्षणः— मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा नियुक्त हेतु पात्र माना जायेगा।
- 8.6 प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापनः— चयन सूची पर लिये गये अभ्यर्थियों के आयु शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से संबंधित प्रमाणपत्रों की जांच कराई जायेगी।
- 8.7 वनरक्षक के पद पर भर्ती हेतु प्रत्येक नियुक्ति कार्यालय द्वारा अंतिम चयन में लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्राप्त अंकों को विचार में लिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए प्रत्येक वर्ग अर्थात् अनु०जाति, अनु०जनजाति और अनारक्षित में के बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मैरिट अनुसार रिक्तियों की संख्या के पांच गुणा तक निर्धारित निर्वहित होगी। ऐसे अभ्यर्थी जो शारारिक दक्षता परीक्षण अर्हित करते हैं वे नियुक्ति हेतु गठित समिति या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये जायेंगे। इसमें अभ्यर्थी की उपयुक्तता विनिर्णीत करने के लिए अभिरुचि और व्यक्तित्व निर्धारण अन्तर्विष्ट होगा। समिति ऐसे अभ्यर्थियों की जो शारारिक दक्षता परीक्षण अर्हित करे, और जिन्हे वे पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझें, एक सूची तैयार करेंगे और उसे प्रत्येक अभ्यर्थी लिखित परीक्षा, बीस अंक के शारारिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार में प्रदान किये गये अंकों के योग के आधार पर योग्यता क्रम में व्यवस्थित करेंगी। नियुक्ति दिये जाने से पूर्व अभ्यर्थी को नियत तिथि तक निर्धारित शारीरिक मापदण्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण पत्र पूर्णतः धारित करने बाबत् मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जो अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहेंगे उनको नियुक्त नहीं किया जायेगा।

9. भर्ती कार्यक्रमः—

- | |
|--|
| (1) आवेदन शुल्क जमा करने की अवधि—16.11.2015 से 1.12.2015 |
| (2) ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि— 02.12.2015 |
| (3) ऑनलाइन प्रवेश पत्र प्राप्त करने की अवधि—21.12.2015 से |
| 4) लिखित परीक्षा की तिथि— 31 दिसम्बर 2015 समय प्रातः 10.00 बजे से 11.30 बजे तक |
| (5) शारीरिक दक्षता परीक्षा की तिथि— पृथक से सूचित की जायेगी। |
| (6) साक्षात्कार की तिथि— पृथक से सूचित की जायेगी। |

10. नियुक्ति के लिए अयोग्यता:-

- 10.1 किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नि हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।
- 10.2 किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नि जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जायेगा।
- 10.3 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् 2 से अधिक संतान हो, सेवा की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
 - 10.3.1 परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती।
 - 10.3.2 परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।
 - 10.3.3 परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसे सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
- 10.4 राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6(19)गृह-13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।
- 10.5 किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
- 10.6 स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजन हेतु दहेज से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एकट, 1961 में है (सेन्टल एक्ट 28 आफ 1961)
- 10.7 भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हे आयु सीमा से लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।
- 10.8 आयोग/ बर्टी बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डीबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (डीबार) होते की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे।
- 10.9 नैतिक अक्षमता (moral turpitude) के अपराध में दोषसिद्ध अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगे।

11.आवश्यक प्रमाण—पत्र—


अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होगे—

- 11.1 समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- 11.2 आयु प्रमाण—पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
- 11.3 अभ्यर्थी यदि अनुसंचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ विशेष पिछड़ा वर्ग से सम्बंधित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण—पत्र।
- 11.4 यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 11.5 अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण—पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यवित्रियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।
- 11.6 भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने को प्रमाण पत्र/ पेशनर होने का प्रमाण पत्र।
- 11.7 आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त विर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5x3.5 सेमी.) फोटो।
- 11.8 विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विछिन्न विवाह के मामले में उसे विवाह विच्छेद का दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत करना होगा।
- 11.9 अन्य वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र

12.महत्वपूर्ण निर्देश

- 12.1 नियुक्त वनरक्षक को राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र में किसी भी कार्यालय में पदस्थापित किया जा सकेगा तथा दो वर्ष से पूर्व अन्यत्र स्थानान्तरण नहीं किया जा सकेगा।
- 12.2 जिस कार्यालय में जिस वर्ग/लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन—पत्र स्वीकार्य होगे।

- 12.3 आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन—पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन—पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति देने के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जाएगी।
- 12.4 निरस्त किए गये आवेदन—पत्र के अभ्यर्थी को शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। यदि आवेदन पत्र आनेलाइन स्वीकृत होता है परन्तु किन्हीं कारणों (जिसमें साफ्टवेयर में त्रुटि शामिल है) से बाद में आवेदन निरस्त होने योग्य पाया जाता है तो उसे निरस्त किया जायेगा। अतः आवश्यक है कि आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता के संबंध में सुनिश्चित हो लें।
- 12.5 राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।
- 12.6 आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी वरण में समिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।
- 12.7 परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश—पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश—पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।
- 12.8 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में रख्यां की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्था, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है। तथापि शारीरिक दक्षता परीक्षा की निर्धारित तिथि को उपस्थित न होने पर उबारा अवसर नहीं दिया जावेगा।
- 12.9 परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में अनुचित सामग्री लाना, उसका उपयोग करते हुए पाये जाना, छद्मवेश में कार्य करना अथवा तत्थात्मक सूचना को छिपाना, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है एवं इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जायेगा। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हे आगामी वर्षों में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वंचित भी किया जा सकेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।
- 12.10 शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा।
- 12.11 उक्त भर्तियां राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 एवं राजस्थान अधीनस्थ वन सेवा नियम 2015 के अन्तर्गत की जावेगी।



(डॉ सुरेन्द्र सिंह चौधरी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(HOFF)
राजस्थान जयपुर